संख्या-71/2021/I/72402/2021/File No.65-2099/1030/2019-2

प्रेषक,

डॉ0 पूजा पाण्डेय,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 22 जून, 2021

विषय: समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद-आजमगढ़ के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या-4027/दि0ज0स0वि0/समेकित-आजमगढ़/जी0एस0टी0/2020-21 दिनांक 05.01.2021 एवं पत्र संख्या-4732/दि0ज0स0वि0/समेकित-आजमगढ़/2020-21 दिनांक 08.02.2021, जिसके द्वारा समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद-आजमगढ़ के निर्माण कार्य के पुनरीक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये उक्त विद्यालय का रू0 2140.83 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद-आजमगढ़ के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-99/2015/2154/65-2-2015-55(बजट)/2015 दिनांक 21.09.2015 द्वारा रू0 1808.61 लाख की लागत स्वीकृत की गयी थी। उक्त निर्माण कार्य की कार्यदायी संस्था कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम है। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु समय-समय पर लोक निर्माण विभाग द्वारा एस0ओ0आर0 में परिवर्तन करने से सामग्री एवं श्रमिक दरों में वृद्धि, चहारदीवारी की लम्बाई में वास्तविकता एवं आवश्यकता के अनुसार वृद्धि, जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर मिट्टी भराई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं बाह्य जलमल कार्य का कार्य स्थल के आवश्यकतानुसार किये जाने, वार्ड रोब शटर में आवश्यकतानुसार वृद्धि, कतिपय नये कार्यों जैसे–इंटरलॉकिंग टाइल्स, बाह्य विद्युतीकरण, हैण्ड पम्प, डी0जी0 सेट, फिक्स टेबल (प्रयोगशाला) एवं सोलर वाटर हीटर को सम्मिलित किये जाने तथा सर्विस टैक्स एवं जी0एस0टी0 के नवीन प्रावधान को सम्मिलित करते हुये रू0 2140.83 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त पुनरीक्षित आगणन प्रस्ताव का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराये जाने के फलस्वरूप परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 2134.25 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ चौंतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) आंकलित की गयी है।

3. अत: आपके पत्र संख्या-4027/दि0ज0स0वि0/समेकित-आजमगढ़/जी0एस0टी0/2020-21 दिनांक 05.01.2021 एवं पत्र संख्या-4732/दि0ज0स0वि0/समेकित-आजमगढ़/2020-21 दिनांक 08.02.2021 तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-99/2015/2154/65-2-2015-55(बजट)/2015 दिनांक 21.09.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद-आजमगढ़ के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित पुनरीक्षित आगणन प्रस्ताव रू0 2140.83 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत रू0 2134.25 लाख (रूपये इक्कीस करोड चौंतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) (विवरण संलग्न)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) प्रायोजना प्रस्ताव का गठन विस्तृत आगणन के आधार पर वर्क डन एवं वर्क टू बी डन के आधार पर किया गया है। वर्क डन की लागत का आंकलन वर्ष 2015, वर्ष 2016 एवं वर्ष 2017 की अनुसूची दर तथा वर्क टू बी डन की लागत का आंकलन वर्ष 2019 की अनुसूची दरों के आधार पर किया गया है। तद्नुसार लागत का परीक्षण किया गया है।

(ii) प्रायोजनान्तर्गत आंकलित लागत में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(iii) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त लागत रू0 10.00 लाख प्रस्तावित की गयी है। अत: निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(iv) प्रश्नगत पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुये लागत को आंकलित किया गया है।

(v) प्रायोजना प्रस्ताव में डी0जी0सेट, लैब हेतु फिक्सड टेबल एवं सोलर वाटर हीटर की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जो बाट आउट श्रेणी का है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय तथा उक्त पर होने वाला व्यय उक्त मद हेतु स्वीकृत की जा रही अनुमन्य लागत की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए।

(vi) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(vii) नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाये।

(viii) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किया जाये।

(ix) प्रावधानों को यथावत् मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार/मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टयों इस्तेमाल करना इत्यादि, समक्ष स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(x) प्रायोजनान्तर्गत सम्पादित/प्रस्तावित कार्यों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(xi) सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(xii) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020 दिनांक 22 मार्च 2021 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की मानीटरिंग भी की जाय और इस संबंध में प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(xiv) आगणन में निर्धारित लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा एवं कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(xv) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xvi) स्वीकृति के संबंध में किये जाने वाले आहरण एवं व्यय तथा सामग्री का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप हों।

(xvii) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि इस संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(xviii) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था सहित निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xix) शासनादेश संख्या-99/2015/2154/65-2-2015-55(बजट)/2015 दिनांक 21.09.2015 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4. उपर्युक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-05-समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-225-दस-20212022 दिनांक 16 जून, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीया,
डॉ0 पूजा पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार, लेखा-परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल।
5. जिलाधिकारी, आजमगढ़ ।
6. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, आजमगढ़।
7. प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1 ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
डॉ0 पूजा पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक

समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय जनपद-आजमगढ़ के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित पुनरीक्षित लागत रू0 2140.83 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत रू0 2134.25 लाख का विवरण

(लागत रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मद	मूल स्वीकृत लागत (वर्ष 2014 के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर)	पुनरीक्षित प्रस्तावित लागत			प्रभाग द्वारा आंकलित लागत			लागत वृद्धि
			सम्पादित कार्य	अवशेष कार्य	योग	सम्पादित कार्य	अवशेष कार्य	योग	
1	विशेष स्कूल भवन (हैन्डीकैप्ड)	699.62	681.01	33.17	714.18	681.01	33.17	714.18	14.56
2	छात्र छात्रावास (क्षमता–50)	389.75	348.06	38.03	386.09	348.06	36.03	366.09	-3.66
3	छात्र छात्रावास (क्षमता–50)	389.75	337.75	38.03	375.78	337.75	38.03	375.78	-13.97
4	रेन वाटर हार्वेस्टिंग	12.26	0.00	22.75	22.75	0.00	22.75	22.75	10.49
5	सबमर्सिल पम्प क्लोरीनेट सहित	8.66	0.00	7.68	7.68	0.00	7.68	7.68	-0.98
6	ओ0एच0टी0 (50 कि0ली0)	10.01	15.02	0.00	15.02	15.02	0.00	15.02	5.01
7	वाह्य स्थल विकास कार्य								
8	सी0सी0 रोड (1807.83 व0मी0)	25.10	0.00	38.78	38.78	0.00	38.78	38.78	13.68
9	इण्टर लॉकिंग टाइल्स (1208.03 व0मी0)	0.00	0.00	21.56	21.56	0.00	21.56	21.56	21.56
10	बाउण्ड्रीवाल (821.00 र0मी0)	60.39	62.68	10.37	73.05	62.68	10.37	73.05	12.66
11	एम0एस0 गेट (1 नग)	1.69	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	0.83	-0.86
12	मिट्टी भराई (11324.47 घ0मी0)	3.00	0.00	41.45	41.45	0.00	40.88	40.88	37.88
13	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प (3 नग)	0.00	1.65	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65	1.65
14	वाह्य जलमल कार्य	44.24	0.00	34.12	34.12	0.00	34.12	34.12	-10.12
15	वाह्य विद्युतीकरण	0.00	0.00	18.72	18.72	0.00	18.72	18.72	18.72
	योग	**1644.47**	**1446.18**	**305.49**	**1751.67**	**1446.18**	**304.92**	**1751.10**	**106.63**
16	कन्टीजेन्सी 2 प्रतिशत	32.89	28.92	6.11	35.03	28.92	6.10	35.02	2.13
	योग	**1677.36**	**1475.10**	**311.60**	**1786.70**	**1475.10**	**311.02**	**1786.12**	**108.76**
17	5 प्रतिशत की कमी	-83.87	-73.76	-15.58	-89.34	-73.76	-15.55	-89.31	-5.44
	योग	**1593.49**	**1401.35**	**296.02**	**1697.37**	**1401.35**	**295.47**	**1696.82**	**103.32**
18	सेन्टेज चार्ज 12.50 प्रतिशत	199.19	175.17	37.00	212.17	175.17	36.93	212.10	12.92
19	लेबर सेस 1 प्रतिशत	15.93	14.01	2.96	16.97	14.01	2.95	16.97	1.03
20	सर्विस टैक्स 6 प्रतिशत (जुलाई, 2017 से पहले कराये गये कार्यो पर)	0.00	30.85	0.00	30.85	30.85	0.00	30.85	30.85
21	जी0एस0टी0 12 प्रतिशत (जुलाई, 2017 से कराये गये कार्यो पर)	0.00	106.46	35.52	141.98	106.46	35.46	141.92	141.92
22	विद्युत कनेक्शन	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00
23	लैब हेतु फिक्स्ड टेबल	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	10.00	10.00	10.00
24	जनरेटर सैट 63 के0वी0ए0	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	9.73	9.73	9.73
25	सोलर वाटर हीटर (3000 ली0)	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	5.87	5.87	5.87
	प्रायोजना की कुल लागत	**1808.61**	**1727.84**	**412.99**	**2140.84**	**1727.84**	**406.41**	**2134.25**	**325.64**